न्यायालय न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली
(कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी :– ओम प्रकाश सहारण (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र संख्याः– 137/2024

जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्या. मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, अलवर

– आवेदक

बनाम

1. श्री सुनील कुमार पुत्र श्री रघुनंदन सिंघल, उम्र 31 वर्ष (मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स मनोहर लाल एण्ड संस, मेन बाजार, बानसूर (अलवर) निवासी वीरखाना मोहल्ला, बानसूर (अलवर)।
2. श्री अविनाश हेगडे पुत्र श्री रमन्ना हेगडे (इंचार्ज एवं नोमिनि) M/s Bunge India Private Limited, NH–12, P.O. Ramganj Balaji, Dist-Bundi 323001, Raj.।
3. M/s Bunge India Private Limited, NH-12, P.O. Ramganj Balaji, Dist-Bundi 323001, Raj.। (निर्माता फर्म)

– अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

निर्णय

दिनांक/9/12/2

1. उपर्युक्त उनवानी संस्थित प्रकरण परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव द्वारा न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया है कि मैं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा हूँ और मेरा गजट नोटिफिकेशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक में दिनांक 26 जुलाई 2011 के गजट भाग 2(क) के क्रमांक 37 पर अंकित है जिसके अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियों प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजः जयपुर के आदेश क्रमांक 475/10.08.2011 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर आवंटित किया गया है और अलवर जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियों न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
2. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 9.12.13 को बाददोपहर 4:35 बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने गश्त खाद्य पदार्थो की चैकिंग हेतु सामान नमूनीकरण बैग सहित जांच दल के साथ मैसर्स मनोहर लाल एण्ड संस, मेन बाजार, बानसूर (अलवर) निवासी वीरखाना मोहल्ला, बानसूर (अलवर) स्थित पर पहुँचा। उक्त समय उक्त स्थल पर श्री सुनील कुमार पुत्र श्री रघुनंदन सिंघल मौजूद थे व मौके पर खाद्य पदार्थों की बिक्री कर रहे थे विक्रेता को परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उससे नाम एवं पता पूछा जिस पर विक्रेता ने अपना नाम श्री सुनील कुमार पुत्र श्री

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

रघुनंदन सिंघल, उम्र 31 वर्ष, निवासी वीरखाना मौहल्ला, बानसूर (अलवर) ने स्वयं को गवाहन श्री दिनेश कुमार एवं श्री केशव कुमार गोयल के समक्ष उक्त फर्म का मालिक होना बताया। मैंने उक्त विक्रेता से खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति दिखाने को कहा जिस पर उक्त विक्रेता ने खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति नं. 12212010000539 दिनांक 8.2.13 से 7.2.14 तक की प्रस्तुत की। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

3. यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा, निरीक्षण करने पर पाया कि वहां पर मालिक एवं विक्रेता श्री सुनील कुमार के पास उनकी उक्त दुकान पर पांच गत्ते के कार्टून में प्रति कार्टून 30 बोतल 500 मिली वजनी रिफाइंड सोयाबीन तेल (चम्बल फ्रेश) मूल सील्ड कम्पनी पैक बोतल आमजन को विक्री वास्ते रखी थी इनमें मिलावट का शक होने पर गवाहन की उपस्थिति में विक्रेता को फार्म नं. 5ए देकर सूचित करते हुए उक्त रिफाइंड सोयाबीन तेल (चम्बल फ्रेश) की बोतलों में से 4 बोतल रिफाइंड सोयाबीन तेल (चम्बल फ्रेश) 500 मिली वजनी मूल सील्ड पैक वास्ते नमूना जाँच खरीदे। इन रिफाइंड सोयाबीन तेल (चम्बल फ्रेश) के बोतलों पर निम्न अंकित था–MRP Rs 57–00, Net Contents–500 ml, PKD–06 Nov 13, Mfd & packed by– Bunge India Private Limited, NH–12, P.O. Ramganj Balaji, Dist-Bundi 323001, Raj. उक्त खरीदशुदा रिफाइंड सोयाबीन तेल (चम्बल फ्रेश) की कीमत विक्रेता श्री सुनील कुमार को रु 168/– (अक्षरे एक सौ अडसठ रूपये मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वंय आवेदक खांद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। फार्म नं. 5ए एवं रसीद माल खरीद न्यायनिर्णायन आवेदन के साथ संलग्न है।

4. यह है कि मौके पर विकेता ने उक्त रिफाइंड सोयाबीन तेल (चम्बल फ्रेश) के अन्य फर्म से माल खरीद में मैसर्स Bunge India Private Limited, NH-12, P.O. Ramganj Balaji, Dist-Bundi 323001, Raj. के बिल. नं. ID58C691 दिनांक 13.11.13 की प्रति प्रस्तुत की। जिस पर उक्त फर्म का नाम फार्म नं. 5ए में द्वितिय पार्टी के रूप में लिखा एवं कार्यालय में पहुंचकर पत्रांक 213/10.12.13 द्वारा फार्म नं. 5ए की प्रति उक्त फर्म को भिजवायी गयी। उक्त पत्रांक एवं बिल की प्रति न्यायनिर्णायन आवेदन के साथ संलग्न है।

5. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना जांच हेतु क्रय किये गये चार रिफाइंड सोयाबीन तेल (चम्बल फ्रेश) के मूल सील्ड बोतलों पर, लेवल तैयार कर उन पर श्रीमान् डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक बी–1454 दर्ज कर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व मैने स्वयं ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक पैकेट पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना पैकेट को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर एवं किनारों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाकर प्रत्येक पैकेट पर पेपर स्लिप कोड एवं सीरीयल नं. बी–1454 जो श्रीमान् डी. ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर द्वारा हस्ताक्षरित मेरे पास उपलब्ध थी, को चारों पैकेटो पर नींचे से उपर तक पूरे राउण्ड पर गोंद से चिपकाकर मोटे मजवूत धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह उपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपडी कर प्रत्येक सील्ड नमूने पर विक्रेता श्री सुनील कुमार के हस्ताक्षर इस तरह

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आ गये एवं गवाहन व स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील्ड नमूना भागो को अपने जाप्तें में लिया।

6. यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की मौकाफर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर उनके हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोंट न्यायनिर्णायन आवेदन के साथ संलग्न है।

7. यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार कर उन पर सील इम्प्रेशन उसी सील का लगाया जिसके द्वारा मौके पर नमूना सील मोहर किया गया था। नमूने का एक सील्ड बोतल गय फार्म नं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सील मोहर कर एवं फॉर्म सं. 6 की दो प्रति अलग से एक लिफाफे में सील चपड़ी कर नमूने का सील्ड पैकेट एवं सील्ड लिफाफा खाद्य विशलेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानव: प्रयोगशाला, अलवर को जमा कराकर रसीदें प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

8. यह है कि नमूने के शेष दो सील्ड बोतल मय फार्म नं. 6 की दो प्रतियों के एक आउटर कवर में सील चपड़ी कर तथा नमूने के चौथे भाग को मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर को जमा कराकर रसीदें प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

9. यह है कि उक्त रिफाइंड सोयाबीन तेल (चम्बल फ्रेश) के नमूने की जांच रिपोंट मुझे जरिये श्रीमान् डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर के पत्रांक 11/6.1.14 द्वारा प्राप्त हुई, जिसके अनुसार उक्त रिफाइंड सोयाबीन तेल (चम्बल फ्रेश) का नमूना एफएसएसए 2006 के मानकों के अनुसार नहीं होने से मिथ्याछाप (Misbranded) होना पाया गया। उक्त पत्रांक मय जाँच रिपोंट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

10. यह है कि अनुसंधान के दौरान अभियुक्त सं.–3 से पत्रांक 104/10.2.14 द्वारा पूछने पर उक्त फर्म ने अपने पत्रांक 116/7.4.14 के द्वारा पत्र नं. 655, लिस्ट आफ डायरेक्टर, खाद्य लाईसेंस एफएसएसए नोमिनि प्रपत्र 9 वैट रजि. प्रपत्र एवं पैन कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की। एफएसएसए नोमिनि प्रपत्र 9 में अ. सं. 2 श्री अविनाश हेगडे पुत्र श्री रमन्ना हेगडे को इंचार्ज एवं नोमिनि दर्शाया हुआ है एवं यह फर्म रिफाइंड सोयाबीन तेल (चम्बल फ्रेश) के. पैकिंग पर निर्माता फर्म अंकित है। उक्त पत्रांक, पत्र, एवं साक्ष्य न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

11. यह है कि मेरे द्वारा प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेज श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर को वास्ते अग्रिम आदेश हेतु पेश किये जिन्होने अपने पत्रांक 89 दिनांक 10.6.14 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण मे न्यायनिर्णयन आवेदन श्रीमान् के समक्ष पेश करने हेतु प्राधिकृत किया है। उक्त पत्रांक न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

12. यह कि उक्त प्रकरण मे मिथ्याछाप रिफाइंड सोयाबीन तेल (चम्बल फ्रेश) का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि उक्त अभियुक्तों को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित किया जावे।

13. प्रकरण इस न्यायालय कि क्षेत्राधिकार में होने के कारण पत्रावली अपर जिला मजिस्ट्रेट अलवर से स्थानान्तरण होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण की तल्बी हेतु नोटिस जारी किया गया बाद तामिल अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता दीपक कुमार योगी उपस्थित आकर जवाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा ने जिस प्रयोगशाला में खाद्य पदार्थ का परीक्षण करवाया है वह एफएसएस अधिनियम के तहत अधिकृत नही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सार्वजनिक विश्लेषण प्रयोगशाला से जॉच करवाई है यह प्रयोगशाला एनएबीएल से अधिकृत नही है। कम्पनी द्वारा समय-समय प्रयोगशाला में जॉच परीक्षण करवाया जाता है जहाँ पर सभी खाद्य पदार्थ, खाद्य सुरक्षा मानकों एवं अधिनियमों के अनुरूप पाये जाते है लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश परिवाद में किसी भी प्रकार से यह स्पष्ट नही है कि उक्त खाद्य पदार्थ किस कारण से मिथ्याछाप पाया गया है। अभियुक्त का खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप नही है साथ ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जिस प्रयोगशाला में जॉच कराई गई वह एनएबीएल प्राधिकृत प्रयोगशाला नही है इस कारण बिना प्राधिकृत प्रयोगशाला से प्रेषित जॉच रिपोर्ट को वैध नही माना जा सकता है इसलिए प्रस्तुत परिवाद को निरस्त कर अभियुक्त को दोष मुक्त करने की कृपा करें।

14. हमने पत्रावली तथा अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया तथा की गई बहस पर मनन किया। खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/1116/एक्ट/2013/1119 दिनांक 20.12.2013 के अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 3(1)(zf)(C)(i) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 के तहत खाद्य पदार्थ को मिसब्राण्ड माना है एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम 2011 के विनियम संख्या 2.3.1.(2) के उल्लघंन का दोषी माना गया है। जबकि अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित किया है खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा एनएबीएल प्राधिकृत प्रयोगशाला से खाद्य पदार्थ की जॉच नही कराने के कारण खाद्य पदार्थ मिसब्राण्ड पाया गया है परन्तु अपने कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेजात् रिकॉर्ड या सबूत पेश नही किये है इसलिए केवल जुबानी कथनों के आधार पर पर्याप्त वजह दस्तावेजी रिकॉर्ड के अभाव में प्रयोगशाला से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को गलत नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार अभियुक्तगण मिथ्याछाप (मिसब्राण्ड) खाद्य पदार्थ रिफाइंड सोयाबीन तेल (चम्बल फ्रेश) का विक्रय कर खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है। इसलिए खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत अभियुक्तगण को दण्डित किया जाना उचित समझते है। अतः अभियुक्त श्री श्री अविनाश हेगडे पुत्र श्री रमन्ना हेगडे (इंचार्ज एवं नोमिनि) M/s Bunge India Private Limited, NH-12, P.O. Ramganj Balaji, Dist-Bundi 323001, Raj. एवं M/s Bunge India Private Limited, NH-12, P.O. Ramganj Balaji, Dist-Bundi 323001, Raj.। (निर्माता

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

फर्म) पर 25000/- (पच्चीस हजार रुपये) शास्ति राशि आरोपित की जाती है। उक्त राशि जरिये चालान एक माह में जमा कराकर रसीद चालान पेश करें। निर्णय आज दिनांक 19.12.25 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी
अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली